



भारत गीयर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 20 कि.मी. मथुरा रोड, पो. ओ. अमर नगर, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)

फोन: +91 (129) 4288888, फैक्स: +91 (129) 4288822-23

ई-मेल: info@bglindia.com वेबसाइट: www.bharatgears.com सीआईएन: L29130HR1971PLC034365

वार्षिक आम सभा एवं रिमोट ई-मतदान की जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारत गीयर्स लिमिटेड के सदस्यों की 48वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को सुबह 11:30 बजे वीडियो-सम्मेलन (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें वर्णित व्यवसायों को निष्पादित करने के लिए सूचना पहले ही शेर्य धारकों को भेज दी गयी है।

कॉविड-19 महामारी जारी रहने के मददेनजर कॉपोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा 05 मई, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 20 के साथ पठित, 08 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र 14 एवं 13 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 17 (एमसीए परिपत्र) में वीसी या ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम सभा को एक आम स्थल पर सदस्यों की मौक्तिक उपस्थिति के बिना आयोजित करने की अनुमति दी है। इन एमसीए परिपत्रों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("विनियम") से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजी गई है, जिनका ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरीज के साथ एमसीए परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा 12 मई, 2020 को जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के अनुसार पंजीकृत है। वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गये हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत क्यूरोम की गणना के प्रावधानों के लिए गिना जाएगा।

एतद्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 एवं आगे के संशोधन एवं सेबी अधिनियम, 2015 के अधिनियम 44 के संदर्भ में कम्पनी बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को आयोजित होने वाली उपरोक्त एजीएम में व्यवसाय निष्पादित करने के लिए शेर्यधारकों को सहर्ष ई-मतदान (एजीएम के आयोजन स्थल के अलावा दूरदराज क्षेत्रों से मतदान) की सुविधा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) द्वारा प्रदान रीमोट ई-वोटिंग माध्यम से उपलब्ध करा रही है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (ख) 48वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, (ख) 48वीं एजीएम की सूचना भेजने की तिथि 24 अगस्त, 2020 है, (ग) रीमोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान 13 सितम्बर, 2020 को प्रातः 09:00 बजे से आरंभ होगा, (घ) रीमोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान 15 सितम्बर, 2020 को सायं 05:00 बजे बंद होगा, (ङ) रीमोट ई-मतदान के मताधिकार सिद्ध करने के लिए कट ऑफ तिथि 09 सितम्बर, 2020 है, (च) कम्पनी के सदस्यों को सूचना वितरण के बाद तथा

09 सितम्बर, 2020 की कटऑफ तिथि से पूर्व जो सदस्य शेर्यों का अधिग्रहण करेंगे वे सदस्य rajiv.ranjan@linkintime.co.in; या delhi@linkintime.co.in पर एक अनुरोध भेजकर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, (छ) रीमोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से मतदान की सुविधा 15 सितम्बर, 2020 को सायं 05:00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी, (ज) एजीएम में उपस्थित सदस्यों के लिए मतदान की सुविधा दी जाएगी एवं वहाँ उपस्थित सदस्य जिन्होंने रीमोट ई-वोटिंग से मतदान नहीं किया है वे वीसी/ओएवीएम द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, (झ) वह सदस्य जो रीमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर चुके हैं वे बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी (ञ) जिन सदस्यों का नाम सदस्यों की पंजिका में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में 09 सितम्बर, 2020 की कटऑफ तिथि पर होगा, वे सदस्य रीमोट ई-वोटिंग द्वारा तथा वार्षिक आम सभा में मतदान सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, (ट) 48वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.bharatgears.com एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com एवं एलआईआईपीएल की वेबसाइट www.instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध है, (ठ) रीमोट ई-वोटिंग मतदान की प्रक्रिया एवं तरीके के लिये सदस्य 48वीं एजीएम के नोटिस के निर्देशों को देखें तथा किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये एलआईआईपीएल की वेबसाइट www.instavote.linkintime.co.in के डाउनलोड खंड में सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) तथा रीमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा श्री राजीव रंजन, उपाध्यक्ष-ई-वोटिंग, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली पश्चिम, मुंबई-400083 से enotices@linkintime.co.in या दूरभाष 022-49186000 पर संपर्क करें जो रीमोट ई-वोटिंग के साथ जुड़ी शिकायतों का निपटारा करेंगे। ई-मतदान से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य कम्पनी सचिव को उपरोक्त ई-मेल आईडी पर अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि भारत गीयर्स लिमिटेड के सदस्यों की 48वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को सुबह 11:30 बजे वीडियो-सम्मेलन (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें वर्णित व्यवसायों को निष्पादित करने के लिए सूचना पहले ही शेर्य धारकों को भेज दी गयी है।

कॉविड-19 महामारी जारी रहने के मददेनजर कॉपोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा 05 मई, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 20 के साथ पठित, 08 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र 14 एवं 13 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 17 (एमसीए परिपत्र) में वीसी या ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम सभा को एक आम स्थल पर सदस्यों की मौक्तिक उपस्थिति के बिना आयोजित करने की अनुमति दी है। इन एमसीए परिपत्रों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("विनियम") से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजी गई है, जिनका ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरीज के साथ एमसीए परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा 12 मई, 2020 को जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के अनुसार पंजीकृत है। वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गये हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत क्यूरोम की गणना के प्रावधानों के लिए गिना जाएगा।

एतद्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 एवं आगे के संशोधन एवं सेबी अधिनियम, 2015 के अधिनियम 44 के संदर्भ में कम्पनी बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को आयोजित होने वाली उपरोक्त एजीएम में व्यवसाय निष्पादित करने के लिए शेर्यधारकों को सहर्ष ई-मतदान (एजीएम के आयोजन स्थल के अलावा दूरदराज क्षेत्रों से मतदान) की सुविधा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) द्वारा प्रदान रीमोट ई-वोटिंग माध्यम से उपलब्ध करा रही है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (ख) 48वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, (ख) 48वीं एजीएम की सूचना भेजने की तिथि 24 अगस्त, 2020 है, (ग) रीमोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान 13 सितम्बर, 2020 को प्रातः 09:00 बजे से आरंभ होगा, (घ) रीमोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान 15 सितम्बर, 2020 को सायं 05:00 बजे बंद होगा, (ङ) रीमोट ई-मतदान के मताधिकार सिद्ध करने के लिए कट ऑफ तिथि 09 सितम्बर, 2020 है, (च) कम्पनी के सदस्यों को सूचना वितरण के बाद तथा

09 सितम्बर, 2020 की कटऑफ तिथि से पूर्व जो सदस्य शेर्यों का अधिग्रहण करेंगे वे सदस्य rajiv.ranjan@linkintime.co.in; या delhi@linkintime.co.in पर एक अनुरोध भेजकर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, (छ) रीमोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से मतदान की सुविधा 15 सितम्बर, 2020 को सायं 05:00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी, (ज) एजीएम में उपस्थित सदस्यों के लिए मतदान की सुविधा दी जाएगी एवं वहाँ उपस्थित सदस्य जिन्होंने रीमोट ई-वोटिंग से मतदान नहीं किया है वे वीसी/ओएवीएम द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, (झ) वह सदस्य जो रीमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर चुके हैं वे बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी (ञ) जिन सदस्यों का नाम सदस्यों की पंजिका में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में 09 सितम्बर, 2020 की कटऑफ तिथि पर होगा, वे सदस्य रीमोट ई-वोटिंग द्वारा तथा वार्षिक आम सभा में मतदान सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, (ट) 48वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.bharatgears.com एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com एवं एलआईआईपीएल की वेबसाइट www.instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध है, (ठ) रीमोट ई-वोटिंग मतदान की प्रक्रिया एवं तरीके के लिये सदस्य 48वीं एजीएम के नोटिस के निर्देशों को देखें तथा किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये एलआईआईपीएल की वेबसाइट www.instavote.linkintime.co.in के डाउनलोड खंड में सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) तथा रीमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा श्री राजीव रंजन, उपाध्यक्ष-ई-वोटिंग, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली पश्चिम, मुंबई-400083 से enotices@linkintime.co.in या दूरभाष 022-49186000 पर संपर्क करें जो रीमोट ई-वोटिंग के साथ जुड़ी शिकायतों का निपटारा करेंगे। ई-मतदान से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य कम्पनी सचिव को उपरोक्त ई-मेल आईडी पर अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

ईमेल आईडी और बैंक खाता विवरण के पंजीकरण की प्रक्रिया:
यदि शेर्यधारक की ईमेल आईडी कंपनी/उसके रजिस्ट्रार और शेर्य ट्रांसपफर एजेंट 'आरटीए' /डिपॉजिटरी के पास पहले से पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉग इन विवरणों को पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जा रहा है।
यदि शेर्यधारक ने कंपनी/उसके आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है या लामांश की प्राप्ति के लिए बैंक खाता जनादेश को अद्यतन नहीं किया है, तो निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:

(i) कृपया हमारे आरटीए, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट को लॉगिन करें, www.linkintime.co.in की इन्वेस्टर सर्विसेज-ईमेल/बैंक डिटेल् रजिस्ट्रेशन के तहत कृपया लॉग इन करें - विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
(ii) डीमैट मोड में आयोजित शेर्यों के मामले में:
शेर्यधारक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क कर सकते हैं और डीपी द्वारा अपनाई प्रक्रिया और सलाह के अनुसार डीमैट खाते में ईमेल पता और बैंक खाते का विवरण दर्ज कर सकते हैं।
उपरोक्त विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bharatgears.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं।

कृते भारत गीयर्स लिमिटेड

हस्ता/—

प्रशांत खत्री

प्रमुख (विधि) एवं कम्पनी सचिव

तिथि: 24 अगस्त, 2020

स्थान: फरीदाबाद